हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 76

बुधवार, 1 अप्रैल, 2015/11 चैत्र, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

11.00 AM

1. **प्रश्नोत्तरः**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 1900 से 1904, 1906 से 1910 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 1905 का उत्तर सभा पटल पर रखा समझा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 1911 से 1920 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 858 से 863 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12.15 PM

2. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति** (**वर्ष 2014-15**) ने समिति का **38वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(2) **श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति** (**वर्ष 2014-15**) ने समिति का **14वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **कृषि विभाग** द्वारा संचालित गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

12.17 PM

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने श्री जोध राम पुत्र श्री परस राम, निवासी पराहु, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर की मृत्यु के संबंध में अपना वक्तव्य दिया।

12.20 PM

3. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2,3 और 4 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

मुख्य मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) पारित हुआ।

माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2,3,4,5 और 6 विधेयक का अंग बनें।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) पारित हुआ।

सदन की बैठक अपराह्न 12.30 बजे वीरवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।